

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-7099/ 839-40

दिनांक: 22/6/2017

सेवा में

1. वन संरक्षक, मध्य परिमण्डल, रोहतक ।
2. वन मण्डल अधिकारी, रोहतक ।

F. A
27/6

विषय: Diversion of 1.155 ha. of forest land for laying of OFC by M/s Reliance Jio Infocomm Ltd. along Nandal to Chiri and Katwara to Rohtak road, under forest division and District Rohtak, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Others/25307/2017

संदर्भ: वन संरक्षक, मध्य परिमण्डल, रोहतक का पत्र क्रमांक 436 दिनांक 24-5-2017 ।

विषयोक्त प्रस्ताव में निम्नलिखित त्रुटियों पाई गई हैं जिन्हें दूर करके सही सूचना तुरन्त इस कार्यालय को भेजें तथा सम्बन्धित/अपेक्षित प्रपत्रों की एक-एक प्रति भी भेजें :-

1. अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी, (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की अनुपालना में सम्बन्धित जिलाधीश का प्रमाण पत्र प्राप्त करके प्रयोक्ता एजेंसी से पार्ट-1 में एडीशनल डाकूमैन्ट के तहत अपलोड करवाया जाए और उसकी मूल प्रति इस कार्यालय को भेजें ।
2. सक्षम प्राधिकारी की अनुमति की प्रति (प्रयोक्ता एजेंसी / M/s Reliance Jio Infocomm Ltd. द्वारा कथित कार्य करवाने के लिए किस को अधिकृत किया गया है) फार्म-ए पार्ट-1 के A-3 (xvii) पर अपलोड करवाई जाए । पूर्व में अपलोड किया गया प्रपत्र पर्याप्त नहीं है ।
3. KML file and Geo-referenced digital (DGPS) map of the proposed site signed by user agency be uploaded online at column C (ii) and C (iv) of Part-1. Hard copy of original digital map signed by user agency and countersigned by DFO be submitted.

22/06/17
वन संरक्षक एवं नोडल आफिसर (एफ0सी0)
हरियाणा, पंचकुला ।

28
27/6

पू0क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-7099/ 841

दिनांक: 22/6/2017

एक प्रति M/s Reliance Jio Infocomm Ltd., Gurugram (through E-mail) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

22/06/17
वन संरक्षक एवं नोडल आफिसर (एफ0सी0)
हरियाणा, पंचकुला ।

28
27/6

पुं क्रमांक: - 750

दिनांक: - 28-6-17

एक प्लॉट Reliance Jio Infocomm Ltd, Building No-4, RK
Four Square, DLF Phase-II, Gurgaon को गैरवाकर लिखा जाता है,
कि कुं सं० २ व ३ द्वारा मांगी गई सूचना शीघ्र इस माफालप में
भेजें। सूचना समय पर न भेज जाने पर देरी के बाद स्वयं
जिम्मेदार होंगे।

Ranj
उप वगे सरकारके
सहित
२८/६/१७